Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम....... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

रामलाल बनाम रामलाल

किस्म मुकदमा 251A R.T.Act .... नं. 01 .... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.2.20	प्रार्थना पत्र जरिये प्रार्थी प्रस्तुत हुआ। प्रा० पत्र U/S. 251A. R.T.Act दर्ज हो। अप्रार्थी का सहमति पत्र प्रस्तुत की। वास्ते तफ्तीश दि. 28/2/20 को पेश हो	
28.2.20	पत्रावली पेश। प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी की ओर से श्री चंद्रप्रकाश जलवानिया (मुख्तार पावर ऑफ अटार्नी) उपस्थित है। रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटार्नी दि. 28.6.2011 की प्रस्तुत की। शा.का.की	चन्द्रप्रकाश जलवानियाँ 9214045444
	प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा आपसी सहमति का राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे अनुसार प्रार्थी की कृषि ग्राम फतेहपुर पर आने जाने के लिये ग्राम फतेहपुर की कृषि ख० नं० 736/725 रकबा 0.05 हेक्टर में दे दिया जावेगा। इस रास्ते हेतु अप्रार्थी द्वारा दस हजार रुपये प्राप्त कर लेना अंकित किया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा उपस्थित	रामलाल 9415827767 25

28/2/2020

हुक्म

पक्षकारों को पढ़कर सुनाया। पक्षकारों की पहचान से गवाहों से करवाई गई। उपस्थित पक्षों द्वारा राजीनामा सुन समझ व सही मानकर स्वीकार किया। पुनः हस्ताक्षर करवा कर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पक्षों को सुना गया। उक्त पक्षकारों द्वारा खसरा नं. 736/725 रकबा 0.05 हेक्टर में से 20 फीट चौड़ा रास्ता ख.नं. 733/364 की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे ख० नं० 734/364 तक जो ख.नं. 734/364 के आखिर तरफ है, दिया जाना सहमत किया।

इस प्रकार अप्रार्थी को अपनी भूमि में से रास्ता देने पर कोई आपत्ति नहीं है। धारा 251.A. को क्रियान्वित करने के नियम 70 के उपनियम (1) के अनुसार पक्षकारों द्वारा करार के मार्फत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तय रकम का लेन देन कर लिया है। अतः भूमि के बदले प्रतिकर की रकम का भुगतान अवरोध नहीं है।

इस प्रकार खसरा नं. 736/725 रकबा 0.05 हेक्टेयर में से ख० नं. 734/364 तक आने जाने हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाकर उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने पर पक्षकारों में सहमति हो चुकी है।

अतः सहमति की हद तक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम फतेहपुर की भूमि ख० नं. 736/725 में से ख० नं. 733/364 के पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे ख० नं. 734/364 तक आने जाने हेतु 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। नक्शा में तामील हो। उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ता (सरकार) दर्ज किया जावे।

नक्शा में तदनुसार तामील

21/02/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म

हो।

निर्णय की एक एक प्रति दोनों पक्षकारों को उपलब्ध कराई जावे।

तहसीलदार रामगंजमण्डी को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहरीर जारी हो।

पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया।

28/2/2020

(चिमनलाल मीणा)
R.A.S.